मद संख्या 243/1

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 242वीं बैठक
दिनांक 06 जुलाई, 2017 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 242वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री मुकुल सिंहल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री मुकुल सिंहल	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री धीरज साहू	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, आ0वि0प0	सचिव / सदस्य
4–	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्रीमती वंदना	नगर नियोजक, प्रतिनिधिसी0टी0सी0पी0, उ0प्र0	सदस्य
6–	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदे.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
7–	श्री विनीत प्रकाश	उपसचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, नगरविकास	सदस्य
8–	श्री अवधेश कुमार खरे	अनु सचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा0 अध्यक्ष महोदय एवं मा0 सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
242/1	परिषद की 241वीं बैठक दिनांक 12मई, 2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 241वीं बैठक दि0 12.5.17 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
242/2	परिषद की 241वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2017 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 241वीं बैठक दि0 12.5.17 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

242/3	कुर्सी रोड विस्तार रोड योजना, लखनऊ में समाविष्ट गाटा संख्या–470 रकबा 1–3–15 बीघा स्थित ग्राम बटहा सबौली तहसील सदर, लखनऊ के भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
242/4	राजापुर एल0आर0पी0 रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखीमपुर खीरी की धारा–31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
242/5	वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ अन्तर्गत ग्राम–कल्ली पश्चिम के खसरा संख्या–60 की अधिग्रहीत की गयी भूमि को योजना से पृथक किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

242/6	परिषद की मझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद में आयकर विभाग को आवंटित भूखण्ड संख्या–जीएच/7ई/3/1 के सम्बंध में।	परिषद द्वारा शासन के पत्र सं0–3818/आठ–1–2009–135 एल0डी0 ए0/99 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर–2009 के अनुपालन में मा0 परिषद की 231वीं बैठक दिनांक 23.06.2010 में लिए गये निर्णय के अनुसार परिषद योजनाओं में राज्य सरकार के विभागों के अधीनस्थ संस्थाओं को आवंटित की जाने वाली भूमि के मूल्य का पूर्ण भुगतान संबंधित विभाग द्वारा दो वित्तीय वर्षो के अन्दर किए जाने की दशा में मूल धनराशि पर कोई ब्याज/दण्डब्याज न लिए जाने का प्राविधान है। आयकर विभाग कार्यालय भारत साकार की संस्थाओं के अन्तर्गत आता है जो उक्त शासनादेश/परिषद आदेश से अच्छादित नहीं होता है। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार परिषद की निर्धारित देय धनराशि जमा कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

पेंशन अनुभाग

242/7	परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या– सा–3–35/दस–07–100(6)–2005 दि0 16.01.2007 एवं शासनादेश संख्या –सा–3–278/ दस–07 –101 (6)/05 दिनांक 07.05.2007 को परिषद में अंगीकृत किए जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर संपूर्ण तथ्यों एवं मंतव्य के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

242/8	शासनादेश संख्या–2/2017/26/44–1–2017–07/2017 दिनांक 15.03.2017 को परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

242/9	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित) में संशोधन–2016 के प्रस्तर 26.1(ii) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चतुर्थ वृत्त, कानपुर के अधीन परिषद योजनाओं के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर मंतव्य के साथ सुसंगत एवं सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

242/10	परिषद की लखनऊ/मेरठ स्थित विभिन्न योजनाओं में स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण न होने के फलस्वरूप निर्माणाधीन भवनों के सम्बन्ध में अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर मार्ग दर्शनार्थ प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसी स्व–वित्त पोषित योजना, जिनके अन्तर्गत भवनों का पंजीकरण नगण्य हुआ है तथा उन योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हुआ है अथवा जिनका निर्माण कार्य प्लिंथ+स्टिल्ट स्तर पर हैं, उनको यथास्थिति में रोक दिया जाय तथा बिना मांग के परिसम्पत्तियों के सृजन से परिषद की बड़ी धनराशि अवरुद्ध हुई है, के सम्बंध में विश्लेषण/परीक्षण कर सम्बंधित का दायित्व निर्धारित करते हुए सुसंगत एवं सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
242/11	वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ के सेक्टर–17 एवं 18 में निर्माणाधीन हिमालय एन्क्लेव के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 816 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सम्यक् विचार किया गया कि मृदा परीक्षण एवं पाईलिंग पर हुए अप्रत्याशित व्यय एवं अन्य बिन्दुओं का विश्लेषण करने तथा इस हेतु दायित्व निर्धारित करते हुए सुसंगत एवं सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गयां।
242/12	परिषद में सभी कार्यो में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

242/13	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–3, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या–1544 मि0 में प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
242/14	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	परिषद में अनिस्तारित परिसम्पत्तियों के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत एवं सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में लाये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुमोदित

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष

6/3/2017